O/c E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ....
Date 03 OCT 2023
AGM (IT)
EE (O)/SE ....
C PTCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन:– U40108CT2003SGC015820

कार्यालय :– कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./18/2023/5002 रायपुर, दिनांक 29 SEP 2023

(अपील प्रकरण कमांक 18/2023)

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा अपीलार्थी
भाटापारा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 29/09/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने यह अपील जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, रायपुर के निर्णय दिनांक 10.08.2023 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :–	छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनीज लिमि. के अंतर्गत वर्ष– 2011 में परिचारक श्रेणी–03 (ला.) के पद पर छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि, में नियुक्त किये संविदा कर्मचारी की कुल संख्या (वेटिंग लिस्ट सहित) समस्त कर्मचारी की नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी अपूर्ण है। अतः प्रथम अपील प्रस्तुत है। अतएव मुझे उचित जानकारी संकलित कर प्रदान करायी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		20.09.2023	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :–		अपीलार्थी द्वारा वर्ष– 2011 में परिचारक श्रेणी–03 (ला.) के पद पर छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं. लिमि, में नियुक्त हुए संविदा कर्मचारी की कुल संख्या (वेटिंग लिस्ट) एवं नियुक्ति आदेश की प्रति चाही गई है। उक्ताशय के संबंध में धारा 5(5) के अनुसार संबंधित प्रभाग से सहायता ली गई। संबंधित प्रभाग द्वारा कुल 11 छाया पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई। अतएव निर्धारित समयावधि के भीतर अपीलार्थी को धारा 7 (1) के अंतर्गत अभिलेख शुल्क रूपये

			22/–मात्र का भुगतान करने बाबत् सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अभिलेख शुल्क का भुगतान पोस्टल आर्डर के माध्यम से किया गया। तद्पश्चात् अपीलार्थी को पत्र कमांक 4155 दिनांक 10.08.2023 के माध्यम से कुल 11 छाया पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि वर्ष 2011 में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में परिचारक श्रेणी–तीन (ला.) के पद पर संविदा आधार पर नियुक्त कार्मिकों के नियुक्ति आदेश की छायाप्रति नस्ती पर प्रस्तुत है तथा वेटिंग लिस्ट संबंधी कोई भी दस्तावेज इस कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अतएव सूचनाधिकार के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम की धारा 2 (F) के अनुसार जनसूचना अधिकारी केवल रिकार्ड में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित दस्तावेज लगभग 14 वर्ष पुराने है। अतः कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख/नस्ती के आधार पर अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए यथोचित जानकारी उपलब्ध करायी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील तर्क कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी अपूर्ण है, तर्कसंगत नहीं है।

(3) – उल्लेखित तथ्यों के आधार पर जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयांतर्गत कार्यवाही की गई है।

तालिका 02 (1) में अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011 में छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि, में परिचारक श्रेणी–03 (लाइन) के पद पर नियुक्त हुए संविदा नियुक्ति के कुल संख्या (वेटिंग लिस्ट सहित) तथा समस्त कर्मचारी की नियुक्ति आदेश की प्रति चाही गई है। उक्ताशय के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालय में उपलब्ध नस्ती/अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी को परिचारक श्रेणी--तीन (लाइन) संविदा नियुक्ति आदेश की छायाप्रति कुल 11 पृष्ठों में उपलब्ध कराते हुए, वेटिंग लिस्ट संबंधी कोई भी दस्तावेज इस कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है से अवगत करायी गई है।

सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी केवल ऐसी सूचना/दस्तावेज प्रदान कर सकता है, जो विद्यमान है और जो उसके पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी द्वारा

सूचना सृजित करना अपेक्षित नहीं है। धारा 2 (F) के अनुसार जनसूचना अधिकारी केवल रिकार्ड में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही व दिये गये तर्क विधिसंगत है। अतएव अपीलार्थी का अपील तर्क/कथन कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी अपूर्ण है, तर्कसंगत नहीं है।

उल्लेखित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध नस्ती/दस्तावेज के अनुसार अपीलार्थी को यथोचित जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है जो स्वीकार योग्य है।

उपरोक्तानुसार जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में कर्तव्य का वहन किया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रदत्त जानकारी अपूर्ण है के संबंध में तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव जन सूचना अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही व तर्क अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः तदनुसार अपील समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

29/9/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771– 2574700

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./18/2023/ 5003 — रायपुर, दिनांक 29 SEP 2023

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर।

(2) श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, कल्याण सागर रोड़, नयागंज वार्ड, भाठापारा, जिला बलौदाबाजार–भाठापारा (छ.ग.) पिन – 493118 ।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर

29/9/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700